न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 – 123/2024

अनवान : –

1. सुरेन्द्र पुत्र फुलसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. फुलसिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।
2. अनिल पुत्र फुलसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।
3. सुमन पुत्री फुलसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।
4. विमला पत्नी फुलसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री विनोद पूनिया वादी
श्री उम्मेद मोठसरा प्रतिवादी

निर्णय   दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 6 जेएसएल के खाता सं0 169/173 की कुल 3.795 है0 में प्रतिवादी सं0 1 फुलसिंह के नाम 1/3 हिस्सा चक 7 जेएसएसल के खाता सं0 51/118 की कुल 16.698है0 में प्रतिवादी सं0 1 फुलसिंह के नाम 766/2783 हिस्सा चक 8 जेएसएल के खाता सं0 134/97 की कुल 4.532है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/8 हिस्सा एवं चक 10 जेएसएल के खाता सं0 77/218 की कुल 8.855है0 में प्रतिवादी संव 1 के नाम 1476/8855 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। [illegible] प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः प्रस्तुत राजीनामा [illegible] स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.13 12:48:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा 6 जेएसएल के खाता सं0 169/173 की कुल 3.795 है0 में प्रतिवादी सं0 1 फुलसिंह के नाम 1/3 हिस्सा चक 7 जेएसएसल के खाता सं0 51/118 की कुल 16.698है0 में प्रतिवादी सं0 1 फुलसिंह के नाम 766/2783 हिस्सा चक 8 जेएसएल के खाता सं0 134/97 की कुल 4.532है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/8 हिस्सा एवं चक 10 जेएसएल के खाता सं0 77/218 की कुल 8.855है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1476/8855 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों में जमाबंदी पैतृक से उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना अंकित है। प्रतिवादी सं0 1 का नाम चक 8 जेएसएल के खाता सं0 134/97 में मनफुल दर्ज है जबकि अन्य खातेदारी में फुलसिंह ही दर्ज है। अतः उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। उपरोक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं0 3–4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा 6 जेएसएल के खाता सं0 169/173 की कुल 3.795 है0 में प्रतिवादी सं0 1 फुलसिंह के नाम 1/3 हिस्सा चक 7 जेएसएसल के खाता सं0 51/118 की कुल 16.698है0 में प्रतिवादी सं0 1 फुलसिंह के नाम 766/2783 हिस्सा चक 8 जेएसएल के खाता सं0 134/97 की कुल 4.532है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/8 हिस्सा एवं चक 10 जेएसएल के खाता सं0 77/218 की कुल 8.855है0 में प्रतिवादी संव 1 के नाम 1476/8855 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 फुलसिंह की बजाय वादी सुरेन्द्र व प्रतिवादी स0 2 अनिल संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी सं0 1 फुलसिंह 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला–रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13-08-24

(ओ.पी. चन्देलिया)

R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.13 12:48:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 123/2024

अनवान : –

1. सुरेन्द्र पुत्र फुलसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. फुलसिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।
2. अनिल पुत्र फुलसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।
3. सुमन पुत्री फुलसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।
4. विमला पत्नी फुलसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी.चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां व वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 जेएसएल के खाता सं0 169/173 की कुल 3.795 है0 में प्रतिवादी सं0 1 फुलसिंह के नाम 1/3 हिस्सा चक 7 जेएसएसल के खाता सं0 51/118 की कुल 16.698है0 में प्रतिवादी सं0 1 फुलसिंह के नाम 766/2783 हिस्सा चक 8 जेएसएल के खाता सं0 134/97 की कुल 4.532है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/8 हिस्सा एवं चक 10 जेएसएल के खाता सं0 77/218 की कुल 8.855है0 में प्रतिवादी संव 1 के नाम 1476/8855 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 फुलसिंह की बजाय वादी सुरेन्द्र व प्रतिवादी स0 2 अनिल संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी सं0 1 फुलसिंह 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला–रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

13-08-24

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.13 12:48:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner